प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 मई, 2017

विषयः- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश की जिला पंचायतों को लेखानुदान अवधि (अप्रैल, मई, जून, जुलाई एवं अगस्त) के लिये व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-61 में प्रदेश की जिला पंचायतों को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रूपये 185250.00 लाख में से लेखानुदान अवधि (अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एवं अगस्त) की धनराशि रूपये 77187.50 करोड़ की 5% धनराशि (ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन हेतु) एवं 0.15% धनराशि (संस्तुति संख्या-23 के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान हेतु) को छोड़कर 94.85% धनराशि **रूपये 73212.34 लाख (रूपये सात सौ बत्तीस करोड़ बारह लाख चौंतीस हजार मात्र)** संस्तुति संख्या-57 के अनुसार संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार जिला पंचायतों को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

निकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि
जिला पंचायतें	73212.34 लाख

2- संलग्न सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों को धनराशि तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी जा रही है।

3- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही हैः-

(1) जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के सम्मुख कॉलम-3 में जिला पंचायतों के लिये आवंटित धनराशि के अनुसार, **पाँच बराबर किश्तों में (प्रथम व द्वितीय किश्त तत्काल तथा शेष तीन किश्तें माह जून, जुलाई व अगस्त, 2017 में) कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ** से आहरित कर ई-पेमेंट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी। निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई-पेमेंट हेतु जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.डी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है वह सही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(4) पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन'' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-10/2017/बी-2-906(1)/दस-2017-2/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
9- उपनिदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
11- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, 10 वां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-10/2017/बी-2-906/दस-2017-2/2017 दिनांक 22 मई, 2017 का संलग्नक

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में जिला पंचायतों हेतु लेखानुदान अवधि (अप्रैल, मई, जून, जुलाई एवं अगस्त) के लिए व्यवस्थित धनराशि का आवंटन

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-

196-जिला पंचायतों को सहायता

03- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत समनुदेशन -

0301- सामान्य समनुदेशन -

28- समनुदेशन

अनुदान संख्या-61 (धनराशि लाख रूपये में)

Øe l[;k	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदशेन
1	2	3
1	ejB	985.44
2	ckxir	742.37
3	xkft ;kckn	882.94
4	xkrec)uxj	729.19
5	cyUn'kgj	1200.68
6	gkiM	905.64
7	lgkjuij	1155.29
8	et¶Qj uxj	1041.81
9	'kkeyh	657.45
10	vkxjk	1185.31
11	fQjkt kckn	891.73
12	eFkjk	932.72
13	euijh	806.80
14	vyhx<	1126.74
15	gkFkjl	770.19
16	,Vk	761.41
17	dklxt	667.70
18	ejknkckn	824.37
19	vejkgk	751.16
20	jkeij	817.78
21	fctukj	1317.09

अनुदान संख्या-61 (धनराशि लाख रूपये में)

Øe l[;k	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदशेन
1	2	3
22	lEHky	822.91
23	cjyh	1207.27
24	cnk;	1066.70
25	'kkgtgkij	1032.29
26	ihyhHkhr	871.96
27	y[kuÅ	1047.67
28	jk;cjyh	942.97
29	lhrkij	1661.92
30	gjnkb	1492.07
31	[khjh	1505.25
32	mUuko	1157.49
33	cLrh	949.56
34	fl)kFkuxj	926.14
35	lUr dchj uxj	732.86
36	xkj[kij	1380.05
37	nofj;k	1086.47
38	d'khuxj	1236.56
39	egjktxt	986.90
40	Qtkckn	983.97
41	ckjkcdh	1273.16
42	lYrkuij	1002.28
43	vEcMdj uxj	942.97
44	veBh	1015.45
45	xk.Mk	1222.65
46	cyjkeij	806.07
47	cgjkbp	1142.11
48	JkoLrh	519.08
49	fetkij	1031.56
50	lr jfonkl uxj	696.98
51	lkuHkn	1027.90
52	okjk.klh	967.87

अनुदान संख्या-61 (धनराशि लाख रूपये में)

Øe l[;k	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदशेन
1	2	3
53	pUnkyh	794.35
54	xkthij	1277.55
55	tkuij	1603.35
56	bykgkckn	1740.99
57	dk'kkEch	791.43
58	irkix<	1183.11
59	Qrgij	1022.78
60	vktex<	1617.26
61	eÅ	809.73
62	cfy;k	1127.47
63	dkuij uxj	770.93
64	dkuij ngkr	917.35
65	Q:[kkckn	763.60
66	bVkok	729.93
67	dUukt	734.32
68	vkj;k	710.89
69	>klh	764.34
70	tkyku	685.27
71	yfyrij	693.32
72	gehjij	599.61
73	cknk	765.07
74	fp=dV	645.00
75	egkck	571.79
	egk;kx	**73212.34**

½रूपये सात सौ बत्तीस करोड बारह लाख चौंतीस हजार मात्र½